

1

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5159 /

जबलपुर, दिनांक 15/10/2019

1. श्री शरद नागर, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट,
2. श्री आशीष सूर्यवंशी, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट,

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इन्दौर को "मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी (MAP IT) स्टेट भोपाल द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता एवं प्रमाणन (CPCT) की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
Bm

पृष्ठांकन क्रमांक B/5160 /
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 15/10/2019

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर की ओर उनके स्थापना के ज्ञापन क्रमांक प्रशा./167-ए/1753 इंदौर, दिनांक 09.09.2019 के संदर्भ में,
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर/इंदौर,
7. एडमिनीस्ट्रेटिव ऑफिसर(जूडिशियल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री शरद नागर, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
10. श्री आशीष सूर्यवंशी, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Bm

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5157 /

जबलपुर, दिनांक 15/10/2019

श्री प्रदीप सांकरिया, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इन्दौर को "मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी (MAP IT) स्टेट भोपाल द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता एवं प्रमाणन (CPCT) की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(राजेंद्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
for

पृष्ठांकन क्रमांक B/5158 /
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 15/10/2019

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर की ओर उनके स्थापना के ज्ञापन क्रमांक प्रशा./167-ए/1781 इंदौर, दिनांक 17.09.2019 के संदर्भ में,
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.)/कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर/इंदौर,
7. एडमिनीस्ट्रेटिव ऑफिसर(जूडिशियल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री प्रदीप सांकरिया, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
for

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

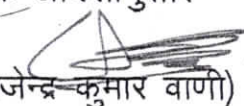
// आदेश //

क्रमांक B/5165 /

जबलपुर, दिनांक 15/09/2019
10

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के मिनिस्ट्रीयल स्टाफ द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण से संबंधित सभी आवेदनपत्र माननीय स्थापना कमेटी/स्टाफ वेलफेयर कमेटी नं-12 के समक्ष विचारार्थ रखे जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार


(राजेन्द्र कुमार वाणी) 3x19
रजिस्ट्रार जनरल
for

पृष्ठांकन क्रमांक B/5166
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 15/09/2019
10

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.)
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन)/ (डी.ई.) / (न्यायिक 1 एवं 2) / (सतर्कता) / (आई.एल.)
4. रजिस्ट्रार, (एम.)(ई.) / कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु,
6. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम.).....(समस्त) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम.).....(समस्त) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम.).....(समस्त) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्या.) / इंचार्ज,.....(समस्त) उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) / आई.एल.आर. एवं परीक्षा / सतर्कता, महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
12. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
13. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
for